प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

एकल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रितिंकर दिवाकर

<u>दाण्डिक अपील क्रमांक 523 वर्ष 1996</u>

<u>अपीलार्थी</u> संजय दास, पिता – गणेश दास

<u>विरूद्ध</u>

<u>प्रत्यर्थी</u> मध्य प्रदेश राज्य

श्री एम. डी. धोटे, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से

श्रीमती स्मिता घई, पैनल अधिवक्ता राज्य की ओर से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>दाण्डिक अपील अंतर्गत धारा 374 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता</u>

<u>निर्णय (03.02.2011)</u>

यह अपील विशेष प्रकरण क्रमांक 137/1996 दिनांक 26.02.1996 को पारित निर्णय एवं दण्डादेश के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसमें अभियुक्त अपीलार्थी को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1) (xi) तथा धारा 506 भाग 2 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों के लिए दोष सिद्ध किया गया है। उसे धारा 3 (1) (xi) अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत 6 माह के कठोर कारावास तथा 500 रू. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है अर्थदण्ड की राशि भुगतान न करने पर 3 माह के अतिरिक्त कठोर करावास से दण्डित किया गया है। धारा 506 भाग II भा.दं.संहिता के अंतर्गत 6 माह के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। दोनों सजायें एक साथ चलाने का आदेश दिया गया है।

2.प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 15.11.1993 को लगभग सायं 6 बजे अभियोक्त्रि (अभियोजन साक्षी क्र. 1) जो लगभग 26 वर्ष विवाहिता महिला थी के द्वारा प्राथमिकी (प्र.पी.1) दर्ज

कराई थी, जिसमें यह आरोप लगाया था कि दिनांक 14.11.1993 को लगभग सायं 7 बजे जब वह अपने नवनिर्मित मकान में अपने नौकर कुमार सिंह (अभियोजन साक्षी प्र.पी. 2) के साथ गई थी तब अभियुक्त अपीलार्थी वहां पहुंचा और उसका हाथ पकड़ लिया उसने उसे खिंचने का प्रयास किया यह कहते हुए कि वह उसके साथ गंदा काम करेगा और जब वह सहायता के लिए पुकारा तब दूसरे कमरे में उपस्थित उसका नौकर वहां आ गया उसके द्वारा हस्तक्षेप करने के कारण अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसे छोड़ दिया और धमकी दिया कि इस घाटना का वे जिक्र ना करे।

अन्वेषण उपरांत, दिनांक 29.12.1993 को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 एवं 506 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(xi) के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषी सिद्ध करने के लिए से अभियोजन पक्ष द्वारा कुल पाँच साक्षियों का परीक्षण कराया गया। अभियुक्त/अपीलार्थी का कथन धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भी अभिलेखित कराया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों का खंडन किया तथा स्वयं को निर्दोष बताते हुए इस प्रकरण में झूठा फँसाए जाने का दावा अभिवाक किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. पक्षकारों को सुनने के उपरांत विचारण न्यायालय ने उपर्युक्त वर्णित अपराधों के लिए अभियुक्त/अपीलकर्ता को दोषसिद्ध ठहराते हुए दंडित किया। अतः यह अपील प्रस्तुत की गई है।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्कप्रस्तुत किया गया है कि अभिलेख में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रदर्शित होता हो कि आरोपित कृत्य अभियुक्त/ अपीलार्थी द्वारा इस तथ्य की पूर्ण जानकारी रखते हुए कि पीड़िता अनुसूचित जाति समुदाय की है, कारित किया गया है। उनके द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जब तक उक्त साक्ष्य अभिलेख में प्रस्तुत नहीं किया जाता, अपीलकर्ता को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(xi) के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि अभिलेख में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध होता हो कि आरोपित कार्य अपीलकर्ता द्वारा उसके लज्जा भंग करने या अपमानित करने के आशय से किया गया था।

6. इसके विपरित, आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि के अनुरूप है तथा उसमें कोई त्रुटि नहीं है। दूसरी ओर, आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि के अनुरूप है तथा उसमें कोई त्रुटि नहीं है। उनके द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में पीड़िता ने स्पष्टतः यह वर्णन किया है कि किस आशय से अभियुक्त/अपीलकर्ता ने उसे पकड़ कर रोका था और यदि न्यायालयीन कथन में उसके द्वारा यह तथ्य नहीं कहा गया है, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके द्वारा आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन के लिए यह सिद्ध करना अपेक्षित नहीं है कि आरोपित कार्य अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा इस तथ्य की पूर्ण जानकारी रखते हुए कि पीड़िता अनुसूचित जाति समुदाय की है, कारित किया गया था।

7. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री एवं अपेक्षित निर्णय का अवलोकन किया।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. पीड़िता (अभियोजन साक्षी क्र.1) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि वह 'गाड़ा' जाति की है जो अनुसूचित जाति समुदाय की श्रेणी के अंतर्गत आती है। वह अभियुक्त/अपीलार्थी को पहचानती है क्योंकि वह उसके ग्राम का निवासी है तथा जाति से वैष्णव है। उसने आगे यह कथन किया है कि घटना दिनांक को अर्थात् दीपावली पर्व के दिन वह अपने नवनिर्मित आवास में अपने सेवक कुमार सिंह के साथ गई थी और जब वह अपने आवास के बाहर दीया प्रज्ज्वलित कर रही थी एवं उसका सेवक भीतर यही कार्य कर रहा था, उसी समय अभियुक्त/अपीलार्थी वहां आया तथा उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे खींचने/घसीटने का प्रयत्न किया। उसके द्वारा चीख-पुकार करने पर उसका सेवक वहां आया और अभियुक्त/अपीलार्थी से पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। उसने आगे यह कथन किया है कि तदोपरान्त उक्त घटना की सूचना उसने अपने पति एवं सास को दी किन्तु उस दिन प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज नहीं करवाई जा सकी क्योंकि रात्रि का समय था। कुमार सिंह (अभियोजन साक्षी क्र.2) - पीड़िता का सेवक, ने भी पीड़िता द्वारा किये गये कथन की पुष्टि करते हुए कहा

है कि घटना दिनांक को वह पीड़िता के आवास के अन्य कक्ष में था और उसकी चीत्कार सुनकर जब वह वहां पहुंचा, तो उसने अभियुक्त/अपीलार्थी को पीड़िता का हाथ पकड़े हुए तथा उसे खींचते हुए देखा। उसने आगे कथन किया है कि जब उसने अपीलार्थी से ऐसा न करने के लिए कहा, तो उसने उसे जान से मारने की धमकी दी और तत्पश्चात् अभियुक्त/अपीलार्थी घटनास्थल से चला गया।

9. प्रेमलाल (अभियोजन साक्षी क्र.3) - पीड़िता का पति, ने यह कथन किया है कि घटना दिनांक को उसकी पत्नी ने उसे इस तथ्य की सूचना दी थी कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसे पकड़कर घसीटा। भगवती (अभियोजन साक्षी क्र.4) - पीड़िता की सास, ने अभियुक्त/अपीलार्थी के कार्य के संबंध में लगभग समरूप कथन किया है जैसा कि पीड़िता द्वारा किया गया है। ए.एस. नेताम (अभियोजन साक्षी क्र.5) अन्वेषण अधिकारी हैं जिन्होंने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का यथोचित समर्थन किया है।

10. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है एवं अभिलेख में उपलब्ध सामग्रीएवंआक्षेपित निर्णय का सम्यक् अवलोकन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. यद्यपि प्रथम सूचना प्रतिवेदन एवं धारा 161दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिलिखित उसके केस डायरी कथन में पीड़िता ने यह उल्लेख किया है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसकी लज्जा भंग का अपमान करने की नीयत से एवं उसके साथ गंदा काम करने के आशय से उसका हाथ पकड़ा किन्तु न्यायालयीन कथन में उसने केवल इतना कहा है कि जब वह अपने आवास के बाहर दीया प्रज्ज्वलित कर रही थी, तब अभियुक्त/अपीलार्थी वहां आया एवं उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे घसीटने का प्रयत्न किया, और उसकी चीत्कार सुनकर उसका सेवक वहां पहुंचा तथा उसके बीच-बचाव करने पर अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसे छोड़ दिया था।

अभिलेख पर यह दर्शाने के लिए कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि यह संपूर्ण कृत्य अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा पीड़िता पर हमला करने के आशय से अथवा पीड़िता की अपमानित करने या लज्जा भंग करने के आशय से किया गया था क्योंकि वह अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित है। पीड़िता या किसी अन्य साक्षी के न्यायालय में दिए गए कथन में कहीं पर भी यह उल्लेख नहीं है कि पीड़िता के अनुसूचित जाति वर्ग से सम्बद्ध होने के कारण यह कार्य

अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा किया गया था। मात्र यह तथ्य कि पीड़िता संयोगवश अनुसूचित जाति की महिला है, अधिनियम के उपबंधों को आकृष्ट नहीं करता है जब तक कि अन्यथा साक्ष्य विद्यमान न हो।

12. इस दृष्टिकोण से, यह न्यायालय सुविचारित रूप से यह मत रखता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी को विशेष उपबंध के तहत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। परन्तु, अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य एवं अभियुक्त द्वारा किये गये कार्य को दृष्टिगत रखते हुए, वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के अधीन दोषसिद्धि के दायी है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निर्णय यथा **नानका पुत्र चिमलिया, हरदासपुर बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1991 एम.पी.एल.जे. 345** में प्रकाशित निर्णय उसको कोई सहायता प्रदान नहीं करता है क्योंकि उक्त मामले में पीड़िता को घसीटना सिद्ध नहीं हुआ था जबकि विचाराधीन मामले में यह स्पष्ट है कि पीड़िता अपने घर में अकेली थी और यही कारण है कि अभियुक्त/अपीलार्थी घर में प्रवेश किया,उसे पकड़ा और उसे खींचने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त, सेवक कुमार सिंह (अभियोजन साक्षी क्र.2) के प्रवेश करने तक, अपीलार्थी पीड़िता को पकड़े हुए था और उसने उसे सिर्फ कुमार सिंह (अभियोजन साक्षी क्र.2) के हस्तक्षेप के पश्चात् ही छोड़ा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. **भारतीय दंड संहिता की धारा 354 पर विचार करते हुए, तारकेश्वर साहू बनाम बिहार राज्य (अब झारखंड) (2006) 8 एस.सी.सी. 560 में प्रकाशित मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-**

> ***37. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर, हमारे सुविचारित मत में, अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अधीन भी दोषी है, क्योंकि विद्यमान मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के समस्त तत्व विद्यमान हैं।***
>
> ***38. धारा 354 भा.दं.सं. निम्नवत् उद्धृत है:***
>
> ***354. किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग - जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से अथवा यह जानते हुए कि***

इससे संभवतः उसकी लज्जा भंग होगी, उस पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

39. जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अधीन अपराध का संबंध है, किसी स्त्री की लज्जा भंग करने का आशय अथवा यह ज्ञान कि अभियुक्त के कृत्य से उसकी लज्जा भंग होगी, अपराध का सार तत्व है।

40. स्त्री की लज्जा का मूल तत्व उसका स्त्रीत्व है। अभियुक्त की आपराधिक आशय प्रकरण का केंद्र बिंदु है। स्त्री की प्रतिक्रिया अत्यंत सार्थक है, किंतु इसकी अनुपस्थिति सर्वदा निर्णायक नहीं है। लज्जा एक ऐसा गुणधर्म है जो स्त्री जाती से एक वर्ग के रूप में संलग्न है। यह एक सद्गुण है जो उसके लिंग के कारण उसमें निहित है।

41. "लज्जा" को यथा परिभाषित किया गया है –

"व्यवहार की स्त्रीत्व-सुलभ औचित्यता; चिंतन, वाणी तथा आचरण की पूर्ण पवित्रता" (स्त्री या पुरुष में); संकोच अथवा लज्जा की भावना जो अशुद्ध या अशिष्ट आशयों के प्रति स्वाभाविक घृणा से उद्भूत होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

42. यह अवधारित करने के लिए कि किसी स्त्री की लज्जा भंग की गई है, उस पर हमला किया गया है अथवा अपमानित किया गया है, अंतिम कसौटी यह है कि अपराधी का कृत्य ऐसा होना चाहिए कि उसे एक ऐसे कृत्य के रूप में प्रत्यक्षित किया जा सके जो किसी स्त्री की शालीनता की भावना को आघात पहुँचाने में सक्षम हो।

कोई व्यक्ति जो पूर्ण सार्वजनिक दृष्टि में किसी स्त्री के नितम्ब पर थप्पड़ मारता है, वह उसकी लज्जा भंग करने के समतुल्य होगा, क्योंकि यह न केवल स्त्री-शालीनता की सामान्य भावना के प्रति अपमान था, अपितु उस महिला की गरिमा के प्रति भी अपमान था।

43. "लज्जा" शब्द की व्याख्या कृत्य की विशेष पीड़िता के संदर्भ में नहीं की जानी चाहिए, अपितु एक वर्ग के रूप में स्त्री जाती के साथ संबद्ध एक गुणधर्म के रूप में की जानी चाहिए। यह एक सद्गुण है जो स्त्री से उसके लिंग के कारण संलग्न है।

44. हम यह उपयुक्त मानते हैं कि विभिन्न न्यायालयों के उन वादों का पुनः उल्लेख किया जाए जो उन परिस्थितियों को प्रदर्शित करते हैं जिनमें न्यायालय ने अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दोषसिद्धि प्रदान की।

45. ***केरल राज्य बनाम हंसा,*** (1988) 3 क्राइम्स 161 (केर) के प्रकरण में यह इस रूप में प्रतिपादित किया गया:

विधानमंडल का आशय क्या था जब इसने दण्ड संहिता की धाराओं 354 एवं 509 में लज्जा शब्द का उपयोग किया, वह एक ऐसी विशेषता की रक्षा था जो स्त्री के लिए विशेष है, एक ऐसा पुण्य गुण जो स्त्री को उसके लैंगिक स्वरूप के आधार पर प्राप्त होता है। लज्जा स्त्री जाति की विशेषता है और वह इसे अपनी उम्र पर ध्यान दिए बिना धारित करती है।' ये दोनों अपराध न केवल संबंधित स्त्री के हित में सृजित किए गए थे, अपितु लोक नैतिकता के हित में भी। किसी स्त्री की लज्जा का अतिक्रमण करने का प्रश्न निस्संदेह लोगों की प्रथाओं और आदतों पर निर्भर करेगा। जो कृत्य नैतिकता के प्रति अपमानजनक हैं, वे स्त्रियों की लज्जा के प्रति भी अपमानजनक होंगे। स्त्री की लज्जा के विस्तार को मापने के लिए सार्वभौमिक प्रयोज्यता का कोई विशेष मानदंड नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यह देश से देश या समाज से समाज भिन्न हो सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

46. एक प्रसिद्ध लेखक केनी ने अपनी पुस्तक 'Outlines of Criminal Law' में किसी स्त्री पर अभद्र आक्रमण के पक्ष को संबोधित किया है। मुख्य कंडिका इस प्रकार है:

"इंग्लैंड में लैंगिक अपराध अधिनियम, 1956 के अंतर्गत, किसी महिला (किसी भी उम्र की) पर अभद्र आक्रमण को दुष्कृत्य घोषित किया गया है और सोलह वर्ष की आयु से कम किसी शिशु या किशोर पर अभद्र आक्रमण के आरोप में यह कोई

बचाव नहीं है कि उस बालिका (या बालक) ने अभद्रता के कार्य के लिए सम्मति प्रदान की थी।"

47. ***पंजाब राज्य बनाम मेजर सिंह,*** *AIR 1967 SC 63 : 1967 Cri LJ के वाद में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रश्न पर विचार किया कि - क्या साढ़े सात मास की एक बच्ची की लज्जा भी भंग की जा सकती है। बहुसंख्यक दृष्टिकोण स्वीकारात्मक था। न्यायमूर्ति बचावत ने बहुमत की ओर से इस प्रकार मत प्रकट किया:*

"धारा 354 के अधीन दण्डनीय अपराध किसी महिला पर हमला या उसके प्रति आपराधिक बल प्रयोग है, जो उसकी लज्जा भंग करने के आशय से अथवा ऐसा करने की संभाव्य के ज्ञान के साथ किया जाता है। संहिता में 'लज्जा' की परिभाषा नहीं दी गई है। तो फिर महिला की लज्जा क्या है?"

..... महिला की लज्जा का सार उसका लिंग है। वयस्क स्त्री की लज्जा उसके शरीर पर स्पष्टतः अंकित होती है। युवा हो या वृद्ध, बुद्धिमान हो या मूढ़, जागृत हो या सुप्त, महिला के पास ऐसी लज्जा होती है जिसका भंग किया जा सकता है। जो कोई उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसके प्रति आपराधिक बल का प्रयोग करता है, वह धारा 354 के अधीन दण्डनीय अपराध करता है। "अभियुक्त का दोषपूर्ण आशय विषय का सार है। महिला की प्रतिक्रिया अत्यन्त सुसंगत है, किन्तु इसका अभाव सदैव निर्णायक नहीं होता, जैसे कि उदाहरणार्थ, जब अभियुक्त भ्रष्ट मन से सोई हुई महिला के शरीर को गुप्त रूप से स्पर्श करता है। वह जड़बुद्धि हो सकती है, वह संज्ञाहरण के प्रभाव में हो सकती है, वह सोई हुई हो सकती है, वह कृत्य के महत्व को समझने में असमर्थ हो सकती है; तथापि, अपराधी इस धारा के अधीन दण्डनीय है।

कोमल आयु की बालिका कुछ भिन्न स्थिति में होती है। उसका शरीर अपरिपक्व होता है, और उसकी यौन शक्तियाँ सुषुप्त होती हैं। इस मामले में, पीड़िता एक शिशु है,साढ़े सात माह की आयु की। उसमें अभी तक लज्जा का बोध विकसित नहीं हुआ है और उसे

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

यौन का कोई ज्ञान नहीं है। तथापि अपने जन्म से ही वह उस लज्जा को धारण करती है जो उसके लिंग का गुण है।"

48. ***कान्हू चरण पात्रा बनाम उड़ीसा राज्य*** के वाद में, जो 1996 Cri. L.J. 1151 (Ori.) में प्रकाशित है, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार कथन किया:

"अभियुक्त घर में प्रविष्ट हुआ और उस द्वार को तोड़कर खोला जिसे बढ़ती आयु की दो बालिकाओं ने अन्दर से बन्द कर रखा था और उनके साथ छेड़छाड़ की, किन्तु वे अधिक कुछ नहीं कर सके क्योंकि बालिकाओं ने भाग निकलने में सफलता प्राप्त कर ली। अभियोजित किये जाने पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभियुक्तों का कृत्य गम्भीर प्रकृति का था और उन्होंने इसे निडर एवं उद्दण्ड रीति से किया था। अतः धारा 354/34 के अधीन उनको दोषसिद्धि किए जाने को उचित ठहराया गया।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

49. ***दिल्ली उच्च न्यायालय ने जय चन्द बनाम राज्य*** के वाद में, जो 1996 Cri. L.J. 2039 (Del) में प्रकाशित है, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"अभियुक्त ने एक अन्य मामले में अभियोक्त्री को बलपूर्वक बिस्तर पर लिटाया और उसकी पायजामे की डोरी तोड़ दी, किन्तु स्वयं को निर्वस्त्र करने का कोई प्रयास नहीं किया और जब अभियोक्त्री ने उसे धक्का देकर दूर किया, तो उसने उसे पुनः पकड़ने का प्रयास नहीं किया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह बलात्संग का प्रयास नहीं था अपितु केवल महिला की लज्जा का भंग था और धारा 354 के अधीन दोषसिद्धिकरण उचित था।"

51. ***कर्नाटक राज्य बनाम खलील*** *के वाद में, जो 2004 Cri. L.J. (NOC) 10 (Kant) में प्रकाशित है, न्यायालय ने निम्नलिखित रूप से कथन किया:*

"माता-पिता गन्ने के खेत में उस समय पहुँचे जब अभियुक्त छेड़छाड़ करने के प्रयास की प्रक्रिया में था और तुरन्त वह उस स्थान से भाग गया। बलात्संग के आरोप के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं था और अभियुक्त को धारा 376 के अधीन आरोप से दोषमुक्त कर दिया

गया, किन्तु उसे धारा 354/511 भा.दं.सं. के अधीन दोषसिद्धि किए जाने हेतु दायी ठहराया गया।"

52. ***नूना बनाम सम्राट*** *के वाद में, जो* ***15 I.C. 309 : (1912) 13 Cri. L.J. 469*** *में प्रकाशित है, न्यायालय ने निम्नलिखित रूप से कथन किया:*

"अभियुक्त ने एक बालिका के वस्त्र उतार दिये, उसे भूमि पर फेंक दिया और तत्पश्चात् उसके पास बैठ गया। उसने उससे कुछ नहीं कहा और न ही उसके साथ कुछ अधिक किया: [यह अभिनिर्धारित किया गया] कि अभियुक्त ने धारा 354 भा.दं.सं. के अधीन अपराध किया और वह बलात्संग करने के प्रयास का दोषी नहीं था।"

53. *न्यायालय ने* ***बिशेश्वर मुर्मू बनाम बिहार राज्य,*** *जो कि* ***2004 क्रि. लॉ जर्नल 326 (झारखंड)*** *में प्रकाशित है, में निम्नलिखित रूप से अभिव्यक्त किया है:—*

"साक्ष्यों से यह स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त ने सूचना दाता/पीड़िता का हाथ पकड़ लिया था तथा पीड़िता के शोर मचाने पर अभियोजन का एक साक्षी वहाँ पहुँच गया। ऐसी स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 376/511 के अंतर्गत अपराध सिद्ध नहीं होता है। अतः दोषसिद्धि को परिवर्तित करते हुए पीड़िता की लज्जा भंग करने के अपराध हेतु भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत दोषसिद्धि की गई।"

54. ***केशव पढ़न बनाम उड़ीसा राज्य के वाद में, जो 1976 कटक लॉ रिपोर्टर (क्रिमिनल) 236*** *में प्रकाशित है, माननीय न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अभिनिर्धारण किया गया:*

"लज्जा भंग की कसौटी यह है कि क्या कोई सामान्य विवेकशील व्यक्ति यह विचार करेगा कि अपराधी का कार्य महिला की लज्जा को भंग करने के आशय से किया गया था अथवा यह ज्ञात होते हुए किया गया था कि उससे महिला की लज्जा भंग होने की संभाव्य है। प्रस्तुत प्रकरण में, पीड़िता की आयु 15 वर्ष थी तथा मध्यरात्रि के समय जबकि वह अपनी माता के सहित वापस आ रही थी, याचिकाकर्ता द्वारा गली से अकस्मात प्रकट होना एवं उसे उस दिशा में घसीटना, धारा 354 के समस्त तत्वों को सम्यक् रूप से सिद्ध करता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

55. ***राम मेहर बनाम हरियाणा राज्य,*** *1998 क्रि एल जे 1999 (पंजाब एवं हरियाणा) में प्रकाशित मामले में माननीय न्यायालय द्वारा निम्नानुसार प्रतिपादित किया गया:*

> *"अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री को पकड़ लिया गया, उसे उठाया गया तथा तदोपरांत उसे बाजरे के खेत में ले जाया गया जहाँ उसने उसे भूमि पर गिरा दिया एवं उसकी सलवार खोलने का प्रयत्न किया किन्तु वह ऐसा करने में असफल रहा क्योंकि अभियुक्त को निर्बल करने के प्रयोजनार्थ अभियोक्त्री ने हंसिये से आघात कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया था। अभियुक्त अपना रक्त का नमूना प्रस्तुत करने में असफल रहा जिसके फलस्वरूप यह उपधारणा लगाई जा सकती है कि उसकी निर्दोषता संदेहास्पद थी।"*
>
> *"अभियोक्त्री के प्रत्यक्ष साक्ष्य की अन्य साक्ष्यों द्वारा भी पुष्टि की गई थी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 454, 376/511 के अंतर्गत अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित थी परन्तु उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए उसे केवल दो वर्ष के कठोर कारावास एवं रु. 1000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।"*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. "उपरोक्त विधिक स्थिति तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(xi) के अंतर्गत अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषसिद्धि अपास्त की जाती है।" "इसी प्रकार, भारतीय दंड संहिता की धारा 506 भाग II के संबंध में कोई सुसंगत विधिक रूप से ग्राह्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और इसलिए, धारा 506 भाग II के अंतर्गत अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषसिद्धि अपास्त की जाती है, यह न्यायालय इस मत का है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(xi) के अधीन अपराध के स्थान पर, भा.दं.सं. की धारा 354 के अधीन अपराध अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध स्पष्टतः सिद्ध होता है।" "अतः वह भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।"

15. जहां तक दंड का संबंध है, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घटना वर्ष 1993 में अर्थात् लगभग 17 वर्ष पूर्व घटित हुई थी, अपराध के कारित किए जाने के समय

अभियुक्त/अपीलार्थी 19 वर्ष का युवा बालक था और अब वह लगभग 36 वर्ष की आयु का है, उसे कारागार भेजने के स्थान पर, "उस पर कुछ अर्थदंड की राशि अधिरोपित की जा सकती है क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत अपराध के लिए कारावास का दंड अनिवार्य नहीं है। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि अपीलार्थी अभियोक्त्री को उचित प्रतिकर देने के लिए इच्छुक है। अपीलार्थी के अधिवक्ता की इस प्रस्तुति का राज्य के अधिवक्ता द्वारा गंभीरतापूर्वक विरोध नहीं किया गया है।"

16. "तदनुसार, मामले के विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों में, अपीलार्थी पर कारावास का दंड अधिरोपित करना वांछनीय नहीं है। तथापि, किसी भी अतिरिक्त कारावास के स्थान पर, अपीलार्थी पर रु. 11,000/- का अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है और इसमें से रु. 10,000/- अभियोक्त्री को संदेय होगा।" "यह प्रस्तुत आदेश की प्रतिलिपि की प्राप्ति दिनांक से छः माह के भीतर किया जाना चाहिए। यदि विनिर्दिष्ट अवधि में राशि जमा नहीं की गई, तो अपीलार्थी छः मास की अवधि के लिए कठोर कारावास भोगेगा।"

17. "अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित

प्रितिंकर दीवाकर

न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Adv Hemlata Goswami